

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 151 वीं बैठक दिनांक 15.07.2010 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 एवं 12 व.न.नि. (बीपीसी) द्वारा, एजेण्डा संख्या 1, 6, 7, 8 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 व.न.नि. (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसका संकलित कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच. एस. संचेती, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती शुचि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन) जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री पी. अरविंद, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे-

1. श्री राजेन्द्र विजय उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री हृदेश शर्मा, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री बाबूलाल गोयल, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन-14, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री सुभाष चन्द शर्मा, उप नगर नियोजक (एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
7. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक (जोन-9) जविप्रा जयपुर।
8. श्री हीरालाल शर्मा, उप नगर नियोजक (जोन-6), जविप्रा जयपुर।
9. श्री प्रेम शंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी-एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
10. श्री राजेन्द्र भट्ट, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता, जविप्रा जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या:-1

151 / 15.07.2010

विषय:- बीपीसी (ले आउट प्लान) 150 वीं बैठक दिनांक के 01.07.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2

151 / 15.07.2010 (जोन-4)

विषय:-डी फोरेस्ट व्यू हा. को. सोसायटी की योजना नन्द विहार ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के दौरान विकास समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र नहीं दर्शाये जाने तथा सदस्यता सूची व योजना मानचित्र में दर्शाये भूखण्डों में अन्तर होने के कारण विकास समिति के सदस्यों से विचार कर योजना में सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-3

151 / 15.07.2010 (जोन-4)

विषय:-शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अशोक वाटिका के भूखण्ड संख्या 24 से 38 के पुनर्गठन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। यह भूखण्ड एयर पोर्ट बाउन्ड्री के पास स्थित है इसलिए एयरपोर्ट अर्थोटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त पर भूखण्ड संख्या 24 से 38 तक के पुनर्गठित भूखण्ड को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। पुनर्गठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक है इसलिए राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवायी जावे।

पैरामीटर्स जविप्रा विनियमों 2010 के अनुसार देय होंगे।

एजेण्डा संख्या-4

151 / 15.07.2010 (जोन-4)

विषय:-गोपालपुरा गृ.नि.स. समिति की योजना कृषि नगर वी के अनुमोदन बाबत में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सेक्टर प्लान में रेलवे सीमा 50' छोड़ने के पश्चात् 100'-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है किन्तु इस स्थान पर रेलवे की भूमि अधिक है इसलिए सेक्टर रोड रेलवे की भूमि में आ रही है इस भूमि में से सेक्टर रोड निकालने के संबंध में रेलवे विभाग को कई बार पत्र लिखे जो चुके हैं लेकिन रेलवे विभाग का कोई

प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मौके पर इस योजना में काफी मकान निर्मित है इसलिए समिति ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सेक्टर प्लान के अनुसार रेलवे सीमा 50' की दुरी छोड़ने के पश्चात् सेक्टर प्लान के अनुसार 100'-0" चौड़ी सडक छोड़ते हुए शेष योजना को स्वीकृत किया जावे। 100'-0" सेक्टर रोड में जो भूखण्ड आ रहे है रोड में भूमि आने के पश्चात् जिन भूखण्डों में सैटबैक छोड़ने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध होने एवं एन्ट्री मिलने की स्थिति में ही उन भूखण्डों को स्वीकृत किया जावे।

इस योजना का भू-उपयोग उपान्तरण हेतु धारा 25(3) कार्यवाही नर्सरी औचार्ड से आवासीय में भू-उपयोग उपान्तरण हेतु विज्ञप्ति जारी की थी किन्तु मास्टर विकास योजना 2011 में इस योजना की भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक है इसलिए औद्योगिक से आवासीय में भू-उपान्तरण हेतु पुनः 25(3) की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या-5

151 / 15.07.2010 (जोन-4)

विषय:-मित्र नगर गृ.नि.स.समिति की योजना कल्याण नगर ब्लॉक 1 से 6 के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् निम्न बिन्दुओं के अनुसार योजना को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

1. टोंक रोड की चौड़ाई इस जगह 160'-0" निर्धारित है इसलिए 160'-0" चौड़ी सडक में आने वाली भूमि कम करते हुए शेष भूमि का नियमन किया जावे।
2. योजना के अन्दर की सडकों की चौड़ाई कम से कम 30'-0" की जावे।
3. प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत योजना मानचित्र में एयरपोर्ट बाउन्ड्री के पास सुविधा क्षेत्र दर्शाया था इसलिए इस सुविधा क्षेत्र में दर्शाये भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे तथा इन भूखण्डों की भूमि में सुरक्षा कोरिडोर व सुविधा क्षेत्र दर्शाया जावे।
4. योजना में 9 दुकानें सृजित की है उनमें पार्किंग उपलब्ध नहीं है इसलिए इन दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।
5. योजना के भूखण्ड संख्या 13 में सडक उपलब्ध नहीं है इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे।
6. स्कूल सुविधा व मन्दिर सुविधा में भूखण्ड सृजित है। इसलिए इन सृजित 4 भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।

२

7. योजना में जिन भूखण्डों पर व्यवसायिक उपयोग हो रहा है उन भूखण्डों पर व्यावसायिक उपयोग हटने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।
8. एस ब्लॉक में सृजित 7 भूखण्ड जो कि कृषक आबादी भूमि में स्थित है उन्हें समिति की योजना का हिस्सा न होने के कारण इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
9. उपविभाजन में सृजित 14 भूखण्डों का नियमन नियामानुसर उपविभाजन शुल्क लिया जाकर किया जावे।

एजेण्डा संख्या-6

151 / 15.07.2010 (जोन-7)

विषय:-संयुक्त गृ.नि.स.समिति की योजना आफिसर्स कैम्पस विस्तार के भूखण्ड संख्या 232-जे को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आफिसर्स कैम्पस विस्तार के भूखण्ड संख्या 232-जे को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने हेतु प्रकरण समस्त तथ्यों एवं योजना मानचित्र की प्रति में प्रश्नगत भूखण्ड को अंकित कर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-7

151 / 15.07.2010 (जोन-7)

विषय:-नानकपुरी गृ.नि.स.समिति की आवासीय योजना शिवराज निकेतन के भूखण्ड संख्या 20, 33, 65, 66, 67 के पुर्नगठन बाबत।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से बीपीसी (एलपी) की 122वीं बैठक दिनांक 19.02.07 में उल्लेखित शर्त "पुर्नगठन आदेश जारी करने से पूर्व भूखण्ड संख्या 67 में से सैटबैक सीमा में विद्यमान निर्माण को प्रार्थी द्वारा हटाये जाने के पश्चात् पुर्नगठन किया जावे" को निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

"राज्य सरकार से पुर्नगठन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत पुर्नगठन आदेश जारी करने से पूर्व भूखण्ड संख्या 67 में सैटबैक सीमा में विद्यमान निर्माण को प्रार्थी हटाये जाने के पश्चात् ही पुर्नगठन की कार्यवाही की जावे।"

एजेण्डा संख्या-8

151 / 15.07.2010 (जोन-7)

विषय:-आनन्द नगर हाउसिंग कोपरेटिव सोसायटी की योजना टैगोर नगर के भूखण्ड संख्या 1 के नियमन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जोन उपायुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि ब्लॉक ए, बी, सी एवं डी में मात्र प्रश्नगत प्रकरण ही नियमन हेतु प्राप्त हुआ है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि मौके पर दुकानें निर्मित होने के कारण इनका समायोजन भूखण्डों में किया जाना संभव नहीं है। समिति द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड संख्या-1 अजमेर सड़क के मार्गाधिकार में नहीं होने एवं अलग से अनुमोदित योजना अनुसार 40' एवं 30' पहुंच मार्ग उपलब्ध होने एवं मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुये जोन की अभिशंसा को मध्यनजर रखते हुये भूखण्ड संख्या 1 का नियमन किये जाने हेतु योजना मानचित्र में संशोधन किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

एजेण्डा संख्या-9

151/15.07.2010 (जोन-8)

विषय:-अपोलो नगर हाउसिंग को. सोसायटी की योजना कृष्णा कोलोनी के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सहकारी समिति द्वारा योजना में आवासीय क्षेत्रफल 59.68 प्रतिशत तथा सेक्टर प्लान के अनुसार सड़क के योजना में दर्शायी है इसलिए विचार विमर्श पश्चात् योजना को अनुमोदित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

एजेण्डा संख्या-10

151/15.07.2010 (जोन-11)

विषय:-शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स. समिति की ग्राम पीपाला भरतसिंह तहसील सांगानेर में स्थित आवासीय योजना नम्बर (19-ए रामेश्वर विस्तार) के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क सेक्टर प्लान में नहीं दर्शायी गई है। यह सड़क मौके पर बनी हुई है बीपीसी की बैठक क्रमांक 135 दिनांक 08.08.2009 में इस सड़क की चौड़ाई 60' रखे जाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 60' रखी जावे। एक अन्य सड़क जो गाँव की आबादी की ओर जा रही है उसकी चौड़ाई पुर्वानुसार 40' की जावे तथा समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत योजना मानचित्र में जो सुविधा क्षेत्र दर्शाया था उसे ही सुविधा क्षेत्र दर्शाया जावे तथा इस सुविधा क्षेत्र में दर्शाये भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावें। शेष योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-11

151/15.07.2010 (जोन-11)

विषय:—सेक्टर 51, 52, 53 में स्थित मून्दडा फार्म हाउस के अन्दर से 100' चौड़ी सडक एवं जयसिंहपुरा से रिंग रोड तक की 200' सेक्टर रोड की स्थिति के परिवर्तन के संबंध में।

मून्दडा हाउस के अन्दर से गुजरने वाली 100'-0" सडक के परिवर्तन के संबंध में :-

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के दौरान समिति को अवगत करवाया कि प्रार्थी की कम्पाउन्ड वाल के बाद 100' चौड़ी सडक हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध है तथा सडक के पश्चात् कॉमर्शियल भू-पट्टी में एक ओर प्रार्थी के निर्मित मकान है तथा दूसरी ओर की वाणिज्यिक भू-पट्टी में पंचायत द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड है इसलिए समिति द्वारा सभी बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि प्रार्थी कम्पाउन्ड वाल के साथ 100'-0" चौड़ी सडक प्रस्तावित कर आगे सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 100'-0" सेक्टर रोड को घुमाव देकर मिला दिया जावे। जिससे आगे के अन्य खातेदार की भूमि इस सडक की स्थिति के बदले जाने से प्रभावित नहीं हो। इसलिए एजेन्डा के प्रस्ताव अनुसार 100' सेक्टर रोड की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति/सुझाव माँगे जावे ताकि सेक्टर रोड की स्थिति में परिवर्तन किए जाने के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके।

जयसिंहपुरा से रिंग रोड तक जाने वाली 200'-0" सडक के परिवर्तन के संबंध में :-

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। विचार विमर्श के दौरान समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि मौके पर बनी सडक को 200'-0" चौड़ी किए जाने से कम भूमि अवाप्त करनी होगी जबकि सेक्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित सडक को 200'-0" चौड़ी किए जाने पर अधिक भूमि प्राप्त करनी होगी तथा मौके पर 40' चौड़ी सडक उपलब्ध होने के कारण इसकी चौड़ाई 200' चौड़ी करने से खातेदारो का विरोध भी कम होगा। यह सडक आगे महापुरा गांव को जा रही है। इसलिए इस सडक की लम्बाई भी अधिक है। जविप्रा में इस हेतु उस गांव के कुछ व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया कि 200'-0" चौड़ी सेक्टर रोड को एजेन्डा के साथ संलग्न प्रस्ताव के अनुसार स्थिति में परिवर्तन करने से पूर्व प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति/सुझाव माँगे जावे ताकि सेक्टर रोड की स्थिति में परिवर्तन किए जाने के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके।

एजेन्डा संख्या-12

151/15.07.2010 (जोन-11)

विषय:—भूखण्ड संख्या आई.जे.के. ग्रुप हाउसिंग स्कीम नानकपुरा उर्फ हेमा की नांगल का पुर्नगठन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् भूखण्ड संख्या आई.जे. के. के भूखण्डों का पुर्नगठन किये जाने का निर्णय लिया गया। पुनर्गठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक है इसलिए राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवायी जावे।

पैरामीटर्स जविप्रा भवन विनियमों 2010 के अनुसार देय होंगे।

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।


अति. एजेण्डा संख्या-1

151 / 15.07.2010 (जोन-7)

विषय:- दी कृष्णा कॉआपरेटिव सोसायटी की योजना के-5 के भूखण्ड संख्या 48 के नियमन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रार्थी को विस्तृत रूप से सूना गया एवं गहन विचार विमर्श कर प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा जारी आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस योजना में अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के दक्षिण में स्थित अन्य भूखण्डों के लीजडीड जारी किये जाने एवं मौके पर भवन निर्मित हो जाने को ध्यान में रखते हुये पूर्व में अनुमोदित योजना में प्रश्नगत भूखण्ड के सामने प्रस्तावित सडक को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया जाकर स्थानियों निवासियों के लिये अनुमोदित योजना मानचित्र अनुसार 30' चौडी सडक बनाने हेतु आवश्यक भूमि का आंकलन कर अवाप्ति किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उपायुक्त जोन-7 को निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।


क्रमांक :- जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / प्रोजेक्ट / 2010 / डी-211

दिनांक :- 23/7/10

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति० आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।